राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:F26(4)(270)BBB-WE/IEC/ICDS/2015/ 12541-73 जयपुर दिनांक : 17-1-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः— 31 मार्च, 2018 तक आंगनबाडी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस को मुख्यमंत्री राजश्री दिवस के रूप में मनाये जाने बाबत।
सन्दर्भः—आयुक्तालय महिला अधिकारिता के पत्रांक 40095 दिनांक 28.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि मुख्यमंत्री एडवाईजरी काउन्सिल में 31 मार्च, 2018 तक आंगनबाडी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस को मुख्यमंत्री राजश्री दिवस के रूप में मनाये जाने हेतु आपको निम्न प्रकार निर्देशित किया जाता हैः—

1. आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एएनसी के दौरान ही भामाशाह कार्ड, बैंक विवरण आदि प्राप्त कर एएनएम को उपलब्ध करावें।
2. महिला द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण को क्षेत्र की एएनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर प्रसव पूर्व ही इनकी ऑनलाईन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत—प्रतिशत रूप से करवाना सुनिश्चित की जावें।
3. प्रथम किस्त की लाभार्थी बालिका का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि द्वितीय किस्त के भुगतान में विलम्ब न हो।
4. प्रथम एवं द्वितीय किश्त के मध्य आ रहे भुगतान के अन्तर के कारणों का विश्लेषण करते हुए विवरण संबंधित एएनएम को उपलब्ध करावें ताकि अपेक्षित भुगतान सुनिश्चित किया जा सकें।
5. महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं/मानदेय कर्मियों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस के दिन योजना के बारे में आमजन को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:F26(4)(270)BBB-WE/IEC/ICDS/2015/ 12574-913 जयपुर दिनांक : 17-1-18

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
3. समस्त सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ.27(1)(35)( )निमअ/एसआरसीडब्ल्यू/एमआरवाई/CMAC/2017–18/ 4095 जयपुर, दिनांक 22/12/17

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं
गान्धी नगर, जयपुर।

2241
5/1/18

विषय :– एमसीएचएन दिवस को मुख्यमंत्री राजश्री दिवस के रूप में मनाए जाने बाबत।

AD(IEC)
5/1/18

मुख्यमंत्री एडवाईजरी काउन्सिल की दिनांक 19.12.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक आंगनबाडी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस को मुख्यमंत्री राजश्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिसके तहत आंगनबाडी केन्द्रों पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबन्ध में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :–

- आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन, एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एएनसी के दौरान ही भामाशाह कार्ड, बैंक विवरण आदि प्राप्त कर एएनएम को उपलब्ध करावें।
- महिला द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण को क्षेत्र की एएनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर प्रसव पूर्व ही इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत–प्रतिशत रुप से करवाना सुनिश्चित की जावें।
- प्रथम किस्त की लाभार्थी बालिका का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि द्वितीय किस्त के भुगतान में विलम्ब न हों।
- प्रथम एवं द्वितीय किस्त के मध्य आ रहे भुगतान के अन्तर के कारणों का विश्लेषण करते हुए विवरण संबन्धित एएनएम को उपलब्ध करावें ताकि अपेक्षित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
- महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड कार्यकताओं/मानदेय कर्मियों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस के दिन योजना के बारे में आमजन को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त के क्रम में विभागीय अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(रोली सिंह)
शासन सचिव 22/12/17
महिला एवं बाल विकास विभाग